3.1.23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आवेदन 9(13) CPC पर निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह शेरनावत ने आवेदन 9(13) CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम जो तामील मे

इस बाबत पेश किया कि न्यायालय द्वारा
दावा संख्या 83/2021 में दिनांक 17.11.2022
को डिक्री पारित की गई है जिसमें प्रार्थी
के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई है इसलिए
डिक्री की क्रियान्विति अपास्त की जावे
दौरान बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया
कि प्रार्थी की तलबी दावा संख्या 83/2021
में ~~[illegible]~~ जरिये रजिस्टर्ड AD करवाई गई
प्रार्थी का नाम नागरशाह उर्फ सुल्तान अहमद
है नागर शाह के नाम से प्रार्थी की पहचान
नहीं होकर सुल्तान अहमद के नाम से है इसलिए
प्रार्थी को रजिस्ट्री की तामील नहीं हो पाई
और प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा डिक्री पारित
हो गई जिसे अपास्त कर प्रार्थी को पुनः
सुनवाई का मौका दिया जावे। वकील
अप्रार्थीगण निवेदन किया कि इस न्यायालय
द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा
माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सीकर के यहां अपील दिनांक 30.11.22
को पेश गई थी जो न्यायालय द्वारा दिनांक
16.12.22 को खारिज की जा चुकी है तथा
~~[illegible]~~ राजस्व अपील अधिकारी सीकर के
यहां अपील प्रस्तुत करने के बाद इस
न्यायालय में आवेदन 9(13) CPC दिनांक
9.12.22 को पेश किया गया है इसलिए
प्रार्थी को नियमानुसार इस न्यायालय में आवेदन
प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है इसलिए
प्रार्थना पत्र 9(13) CPC खारिज किया जावे।
बहस उभयपक्षान सुनी गई तथा पत्रावली
का अवलोकन किया। आदेश 9 (13) CPC
में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां इस नियम
के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु... की तारीख में जारी
	अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं करेगा। वादी द्वारा माननीय न्यायालय ~~राजस्व~~ अपील अधिकारी सीकर के यहां अपील दिनांक 30.11.22 को प्रस्तुत ~~की~~ की गई और 9(13) का आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 9.12.22 को प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा अपील वापस नहीं ली गई अपितु अपील का निपटारा वाद के गुण-अवगुण पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.22 को किया जा चुका है अतः प्रस्तुत आवेदन 9(13) CPC के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है प्रार्थी अपील के माध्यम से विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली में निर्णय (सुनाया गया) पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दाँतारामगढ़ (सीकर)	